नदियों में प्रदूषण

157. **श्री सोमपाल :**
श्री शारदा महन्ती :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चार महत्वपूर्ण नदियों तथा यमुना, कृष्णा, हिन्डन और काली का जल कारखानों से मल-व्ययन के कारण अत्यन्त दूषित हो चुका है;

(ख) क्या सरकार ने इन नदियों के जल का विभिन्न स्थानों पर परीक्षण कराने और इनके प्रदूषण का स्तर और उसके कारणों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन नदियों में कारखानों से गिरने वाली ऐसी गंदगी को रोकने के लिए विशेषकर ऐसे कारखानों की सूची बनाने और उन्हें निदानात्मक कार्रवाई करने संबंधी आदेश देने आदि जैसे कुछ उपाय किए हैं; और

(ङ) ऐसे कारखानों के नाम और पते क्या-क्या हैं और उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी हां, ये नदियां कुछ क्षेत्रों में प्रदूषित हैं।

(ख) एवं (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित केन्द्रों पर इन नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। जल गुणवत्ता निगरानी के परिणामों से इस बात का पता चला है कि घरेलू एवं औद्योगिक स्त्रोतों से होने वाले अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित निस्सरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

(घ) और (ङ) उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मामले, जन हित के मुकदमें सिविल रिट पेटीशन रिट पेटीशन सं० 3727/85, श्री एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार के अन्तर्गत, माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत के विचाराधीन हैं।

ध्वनि प्रदूषण

158. **श्री शारदा महन्ती :**
श्री सोमपाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाउड-स्पीकरों के अत्यधिक उपयोग के कारण शोर-शराबे का स्तर न केवल बड़े शहरों में अपितु छोटे कस्बों और गांवों में भी बढ़ गया है तथा इसके परिणामस्वरूप लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार धार्मिक स्थलों, समागमों और जनसभाओं में लाउड-स्पीकरों के प्रयोग पर स्थान और समय संबंधी कोई प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?